राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

क्रमांक : 5104 दिनांक : 18.01.2023

सार्वजनिक विज्ञप्ति
पार्किंग स्थल ई–नीलामी
NIT-36/2022-23

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा जिला क्रीड़ा परिषद्, चौगान स्टेडियम, जयपुर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग पर दो पहिया एवं चौपहिया वाहनों हेतु एक वर्ष के लिए निम्न पेड पार्किंग की ई–नीलामी आमंत्रित की जाती है :–

विवरण	:	निर्दिष्ट राशि एवं समय
1. अनुमानित लागत	:	एक वर्ष के लिए न्यूनतम बोली 30.00 लाख रूपये होगी
2. निविदा डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 18.01.2023 समय 04:00 PM
3. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	दि. 30.01.2023 दोपहर 1:00 बजे तक
4. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	दि. 30.01.2023 को 03:00 PM बजे

क्र. सं.	शुल्क का विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	जमा कराने की दिनांक	देय
1	निविदा शुल्क	1000/– रूपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक	दिनांक 30.01.2023 दोपहर 02:00 बजे तक	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर
2	अमानत राशि	अनु. लागत का 2 प्रतिशत राशि रूपये 60000/–	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक		सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, जयपुर
3	ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	500/– रूपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक		Managing Director RISL (Payable at Jaipur)

निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तों का अवलोकन राज्य लोक उपापन पोर्टल **http://eproc.rajasthan.gov.in** एवं **http://sppp.raj.nic.in** तथा **www.rssc.in** पर किया जा सकता है।

सचिव

Scanned with CamScanner

जिला क्रीड़ा परिषद्, चौगान स्टेडियम, जयपुर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग पर दो पहिया एवं चौपहिया वाहनों हेतु निविदा की शर्ते :–

1. निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन Two Stage Bidding Systeme में आमन्त्रित की जायेगी। प्रथम Technical Bid एवं द्वितीय Financial Bid जो कि ऑनलाईन ही अलग–अलग प्रस्तुत करनी होगी।
2. निविदा की न्यूनतम प्रारम्भिक नीलामी राशि रूपये 30,00,000/– (तीस लाख) होगी।
3. निविदा में ऐसे इच्छुक व्यक्ति/फर्म ही भाग ले सकेंगे, जो निविदा शुल्क, अमानत राशि, ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क परिषद कार्यालय में निर्धारित समय पर ऑफलाईन जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।
4. तकनीकी बोली के साथ संवेदक को निम्न दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होगे (जिसके आधार पर तकनीकी बिड का मूल्याकंन किया जायेगा) :–
   i. संवेदक को अपने वर्तमान निवास के प्रमाण हेतु आधार कार्ड के साथ पानी/बिजली/टेलीफोन/मोबाईल के बिल अथवा ड्राईविंग लाईसेन्स में से कोई एक की प्रमाणित छाया प्रतियां।
   ii. राजकीय विभागों में पंजीयन (पार्किंग से संबंधित लाईसेन्स) की छाया प्रति।
   iii. संवेदक/फर्म का विगत 3 वित्तीय वर्ष (2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) में औसत वार्षिक टर्न ओवर 30.00 लाख से कम नही होना चाहिये। इस हेतु संवेदक को उक्त वर्षों का सीए से प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति मय यूडीआई नम्बर सहित संलग्न करनी होगी।
   iv. गत 3 वर्षो (2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) में राजकीय विभागों में किये गये पार्किंग कार्य का एकल कार्य आदेश 15.00 लाख या उससे अधिक होना आवश्यक है। इसके प्रमाणीकरण हेतु कार्यादेश एवं कार्य के सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होगे।
   v. अन्य दस्तावेज चैक लिस्ट अनुसार।
5. तकनीकी प्रस्तावों में सफल संवेदकों के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेगें जो संवेदक तकनीकी बिड में सफल नहीं पाये गये उनकी वित्तीय बोली नहीं खोली जायेगी।
6. यदि इस प्रकार की सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी राजकीय शुल्क, स्थानीय कर या व्यय आदि लागू होते हैं तो उसका भुगतान संवेदक को अपने स्वयं के स्तर पर करना होगा। संवेदक द्वारा उपरोक्त प्रकार के समस्त व्ययों को सम्मिलित करते हुये ही बोली की दर इस कार्यालय की बोली में प्रस्तुत की जानी है। किसी भी प्रकार के व्ययों के लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर नियमानुसार निविदा राशि के अतिरिक्त संबंधित विभाग में संवेदक द्वारा जमा कराने होगें। यह कर राशि बोली राशि के अतिरिक्त होगी तथा इसे संबंधित विभाग में जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
8. उच्चतम संवेदक की अमानत राशि ठेका अवधि तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में अमानत राशि के रूप में जमा रहेगी। शेष संवेदकओं की अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अर्थात् संबंधित संवेदक को कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त लौटा दी जावेगी।

Scanned with CamScanner

9. उच्चतम संवेदक को बोली की सम्पूर्ण राशि तीन किश्तों में जमा करवानी होगी। प्रथम किश्त राशि में राशि का 1/3 LOA (Letter of Acceptance) जारी होने के 7 दिवस में डीडी/बैंकर्स चैक द्वारा कार्यालय में जमा करानी होगी एवं द्वितीय एवं तृतीय किश्त 4 माह एवं 8 माह पश्चात जमा करवानी होगी, इसके पेटे प्रथम किश्त के साथ ही शेष राशियों के पृथक–पृथक दो चैक अग्रिम ही सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के पक्ष में परिषद कार्यालय में संलग्न कर जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस संबंध में स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा द्वितीय एवं तृतीय किश्त समय–समय पर जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में इन अग्रिम चैक का उपयोग कर लिया जावेगा अन्यथा इन्हें संवेदक को लौटा दिया जावेगा। संवेदक चाहे तो सम्पूर्ण राशि की सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पक्ष में एकमुश्त बैंक गारंटी/एफडीआर के रूप में भी जमा करवाई जा सकती है।
10. उच्चतम संवेदक द्वारा प्रथम किश्त की राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा अमानत राशि जप्त समझी जावेगी एवं इसके पश्चात् उच्चतम संवेदक के द्वारा दी गई बोली राशि पर कार्य सम्पादन की सहमति पर द्वितीय उच्चतम संवेदक को दिया जावेगा। द्वितीय संवेदक द्वारा स्वीकार करने की स्थिति में राशि LOA (Letter of Acceptance) जारी होने के 7 दिवस में डीडी/बैंकर्स चैक द्वारा कार्यालय में जमा करानी होगी। द्वितीय उच्चतम संवेदक द्वारा भी तीन किश्तों में राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में ठेके की पुनः निविदा जारी की जावेगी।
11. पार्किंग का ठेका एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगा। प्रथम वर्ष की वित्तीय दरें प्रस्तुत की जावेगी जिसमें अधिकतम दरों के संवेदक को प्राथमिकता के आधार पर निर्णय होगा। एक वर्ष पश्चात् संवेदक का कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद व संवेदक की आपसी सहमति से इस ठेके को बोली पर कम से कम 10 प्रतिशत बढ़ाकर अंतिम द्वितीय वर्ष के लिए (अर्थात् एक अतिरिक्त वर्ष के लिए) बढ़ाया जा सकेगा। इस हेतु संवेदक को ठेका समाप्ति से 3 माह पूर्व आवेदन करना होगा।
12. संवेदक को बोली राशि निम्नानुसार जमा करानी होगी :–
    - उच्चतम संवेदक को बोली की सम्पूर्ण राशि तीन किश्तों में जमा करवानी होगी। प्रथम किश्त राशि में राशि का 1/3 LOA (Letter of Acceptance) जारी होने के 7 दिवस में डीडी/बैंकर्स चैक द्वारा कार्यालय में जमा करानी होगी एवं द्वितीय एवं तृतीय किश्त 4 माह एवं 8 माह पश्चात जमा करवानी होगी, इसके पेटे प्रथम किश्त के साथ ही शेष राशियों के पृथक–पृथक दो चैक अग्रिम ही सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के पक्ष में परिषद कार्यालय में संलग्न कर जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस संबंध में स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा द्वितीय एवं तृतीय किश्त समय–समय पर जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में इन अग्रिम चैक का उपयोग कर लिया जावेगा अन्यथा इन्हें संवेदक को लौटा दिया जावेगा। संवेदक चाहे तो सम्पूर्ण राशि की सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पक्ष में एकमुश्त बैंक गारंटी/एफडीआर के रूप में भी जमा करवाई जा सकती है।
    - निर्धारित समय पर संपूर्ण ठेका राशि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/जिला क्रीड़ा परिषद् कोष में जमा नहीं कराने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा

Scanned with CamScanner

तथा संवेदक की जमा समस्त राशियां जब्त समझी जावेंगी। साथ ही, संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

- सफल संवेदक को बोली स्वीकृति के सात दिवस के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जो कुल बोली राशि के 5 प्रतिशत होगी (नियमानुसार), जमा करानी होगी।

13. यदि ठेके को आगे द्वितीय वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जाता है तो द्वितीय वर्ष की ठेका राशि दो समान किश्तों में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि कर जमा करानी होगी। प्रथम किश्त, प्रथम वर्ष की ठेका अवधि समाप्ति से 30 दिवस पूर्व जमा करानी होगी।
    - एक वर्ष की बोली राशि (प्रत्येक वर्ष की राशि को तीन किश्तों) में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कोष में जमा होने के पश्चात् आगे वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जावेगा। .
    - निर्धारित समय पर ठेका राशि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् कोष में जमा नहीं कराने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा संवेदक की जमा समस्त राशियां जप्त समझी जावेंगी। साथ ही, संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
14. पार्किंग स्थल पर पार्किंग करने वाले वाहन धारकों से सफल संवेदक द्वारा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क वसूल किया जावेगाः–

निर्धारित समय	निर्धारित राशि	
	दुपहिया वाहन (मोटर साईकिल/स्कूटर आदि)	चौपहिया वाहन (मोटर कार आदि)
0–3 घंटे	10/–	20/–
3–6 घंटे	20/–	40/–
6–12 घंटे	30/–	60/–
12–24 घंटे	40/–	100/–
मासिक	500/–	1300/–

नोटः– निर्धारित समय उपरांत संवेदक द्वारा वाहनों को पार्किंग स्थल से हटाने हेतु व्यवस्था स्वयं के संसाधनों से की जावेगी एवं इससे संबंधित संपूर्ण गाइडलाइन्स का उल्लेख सार्वजनिक स्थान पर बोर्ड लगाकर स्वयं के संसाधनों से करना होगा।

15. समय–समय पर राज्य सरकार/यातायात पुलिस विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना करने हेतु संवेदक बाध्य होगा।
16. लाईसेंसधारी संवेदक वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा कर सकेगा एवं निर्धारित पार्किंग स्थल से अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने पर प्रति वाहन रू. 300/– की दर से संवेदक पर शास्ति लगाई जावेगी।
17. प्रत्येक वाहन के दो टोकन होंगे, जिसमें एक वाहन स्वामी को दिया जावेगा एवं दूसरा टोकन संवेदक/कर्मचारी के पास रहेगा।
18. संवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन (Hand Terminal) के माध्यम से टोकन निकाल कर देना होगा तथा इलेक्ट्रॉनिक मशीन/टोकन में वाहन संख्या, पार्किंग का समय, दर, वाहन खड़ा करने का समय/वापसी का समय आदि डिस्प्ले/अंकित होना चाहिये।
19. वाहन स्वामी द्वारा टोकन खो देने पर वाहन के स्वामी को वाहन संबंधी दस्तावेज संवेदक को प्रस्तुत करने होंगे। संवेदक द्वारा पूर्ण जांच करने के उपरांत ही वाहन

Scanned with CamScanner

संबंधित को सौंपा जावेगा। किसी भी वाहन के चोरी/गुम हो जाने पर या किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी भरपाई एवं समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इस संबंध में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/जिला क्रीड़ा परिषद् का कोई दायित्व नहीं होगा, अपितु संपूर्ण दायित्व संवेदक का होगा।

20. पार्किंग स्थल पर संवेदक को पार्किंग स्थल की सूचना कम से कम 2x2 साइज के चार (विशेषकर प्रवेश एवं निकासी पर) बोर्ड स्वयं के व्यय पर लगाना होगा। जिन पर पार्किंग स्थल का नाम, संवेदक का नाम/पता, स्वीकृति संख्या, मोबाइल नं., जोन कार्यालय का नाम एवं पार्किंग की दरें दर्शानी अनिवार्य होंगी। इस शर्त की पालना नहीं करने पर संवेदक पर रू. 500/– प्रतिदिन का अर्थदण्ड लगाया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

21. संवेदक या उसके प्रतिनिधि निर्धारित दरों के अतिरिक्त कोई राशि वसूली नहीं कर सकेगा। उक्त अवैध वसूली की सत्य/प्रमाणित शिकायत पर निम्नानुसार अर्थदण्ड लगाया जावेगा :–

प्रथम शिकायत पर रू. 10,000/– द्वितीय शिकायत पर रू. 30,000/– तृतीय शिकायत पर रू. 50,000/–
नोटः– उपरोक्त स्थिति में तीसरी सत्य/प्रमाणित शिकायत पर संवेदक की संपूर्ण जमा राशियां जप्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

22. संवेदक के अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि ही ठेका स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूल करेंगे एवं संवेदक द्वारा अधिकृत व्यक्तियों/प्रतिनिधियों की सूचना ठेका स्वीकृति के 7 दिवस के भीतर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/जिला क्रीड़ा परिषद् को उपलब्ध करवाई जावेगी। संवेदक या उनके प्रतिनिधियों को ठेका स्थल पर अपने नाम का कार्ड लगाना होगा एवं ऐसा नहीं करने पर ठेका शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा। कार्ड आदि का व्यय संवेदक को स्वयं वहन करना होगा।

23. संवेदक ठेके को अन्य किसी को सबलेट नहीं करा सकेगा एवं सबलेट करने पर ठेका निरस्त माना जावेगा।

24. <u>परिसम्पति नुकसानी</u> :–
    (1) परिसमापित नुकसानी के साथ कार्य अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान अनुसार होगी।

25. संवेदक पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करवा सकेगा। यदि इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे संवेदक के व्यय से काटा जावेगा एवं संवेदक के विरूद्ध कार्य वाही की जावेगी।

26. ठेका अवधि में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा कभी भी राज्यादेश या जनहित में पार्किंग स्थल खाली करवाया जा सकेगा एवं इसमें संवेदक का किसी भी प्रकार का ऐतराज मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा संवेदक को ठेके की शेष अवधि की आनुपातिक राशि लौटाई जावेगी अथवा उतनी समयावधि बढा दी जावेगी।

27. ठेका अवधि समाप्ति तिथि की अर्द्धरात्रि को यह पार्किंग स्थल स्वतः ही राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में निहित हो जावेगी।

Scanned with CamScanner

28. यदि संवेदक की गलती के कारण राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद/जिला क्रीडा परिषद को वाहन पार्किंग का ठेका चलाना पडा तो वैकल्पिक व्यवस्था का खर्चा संवेदक की रिस्क एवं लागत पर होगा तथा उससे वसूल किया जावेगा।
29. ठेका स्वीकृति के बाद 7 दिवस में नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प (संवेदक के व्यय पर) पेपर पर ठेके की शर्तों अनुसार नियमानुसार सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/जिला क्रीड़ा परिषद् को अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर 2 जमानती के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
30. संवेदक को पार्किंग की दरें पठनीय रूप से लिखकर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी। ऐसी नहीं करने पर इसे ठेके की शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा। वाहन धारक के चाहने पर ठेके की शर्तों की छायाप्रति का अवलोकन किया जा सकेगा।
31. यदि निगम को संवेदक के किसी कृत्य से किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है या दायित्व उत्पन्न होता है तो संवेदक इसके लिये पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
32. किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में संवेदक की समस्त जमा राशियां जप्त की जावेगी।
33. ठेका शर्तों का किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को होगा।
34. किसी भी विवाद की स्थिति में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
35. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
36. संवेदक फुटपाथ/सडक की भूमि को छोडकर वर्णित पार्किंग स्थल पर ही वाहनों की पार्किंग करवाया जाना सुनिश्चित करेगा। यदि वह फुटपाथ/सडक पर भूमि पर वाहन पार्क करते हुये पाया जाता है तो संवेदक की निविदा समाप्त कर निविदा राशि जप्त करने का अधिकार या 50 प्रतिशत निविदा राशि का जुर्माना अध्यारोपित करने का अधिकार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को होगा।
37. राजकीय/केन्द्र सरकार द्वारा लागू समस्त कर संवेदक द्वारा वहन किये जायेगें तथा इस संबंध में संवेदक किसी भी प्रकार से पुर्नभरण राशि की मांग राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद से नहीं करेगा ओर न ही राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा देय होगा। राजकीय/केन्द सरकार द्वारा लागू समस्त कर संवेदक द्वारा जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा और संवेदक की जमा राशि जप्त कर ली जावेगी।
38. संवेदक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये पार्किंग स्थल पर पार्क वाहनों का समय–समय पर निरीक्षण कर अवांछित गतिविधियों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेगा।
39. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद कार्यालय, जयपुर को होगा।
40. पार्किंग पर पानी, बिजली एवं पार्किंग मरम्मत कार्य संवेदक द्वारा स्वयं के खर्च में से वहन किया जावेगा।
41. निर्मित पार्किंग की बिल्डिंग को किसी प्रकार की क्षति होती है तो संवेदक उसे सही करवायेगा यदि परिषद कार्यालय द्वारा क्षति हुई बिल्डिंग को सही करवाया जाता है तो न्यूनतम राशि 10,000/–रूपये व अधिकतम वैल्यूवेशन के आधार पर नियमानुसार संवेदक से वसूल की जावेगी।

Scanned with CamScanner

42. संवेदक द्वारा पार्किंग स्थल पर रोजाना साफ–सफाई का कार्य करवाया जाना भी सुनिश्चित करेगा।
43. जी.एफ. एण्ड ए.आर.,राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होगें।

हस्ताक्षर संवेदक मय पूर्ण
पते सहित

सचिव
राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
जयपुर

Scanned with CamScanner

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Scanned with CamScanner

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No...............Dated................I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :

Scanned with CamScanner

Annexure C :Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Dy. Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan. The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary** Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan, Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

Scanned with CamScanner

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Scanned with CamScanner

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

   Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

   i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

   ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

   iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

   (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

   (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

   (i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Scanned with CamScanner

घोषणा

मैने/हमने **जिला क्रीड़ा परिषद्, चौगान स्टेडियम, जयपुर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग पर दो पहिया एवं चौपहिया वाहनों हेतु** बोली के नियम एवं शर्तो को भली–भॉति पढ व समझ लिया है। मुझे/हमारी फर्म को किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक–लिस्ट नहीं किया गया है। इन शर्तो एवं नियमों के अधीन मैं/हम जिला क्रीड़ा परिषद्, चौगान स्टेडियम, जयपुर कार्यालय के बाहर खाली मैदान स्थल पर पेड पार्किंग व्यवस्था में कार्य करने हेतु सहमत एवं वचनबद्व हूॅ/है। यदि मेरे/हमारे द्वारा की किसी बोली की शर्तो, नियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन किया जावेगा तो सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे/हमारे विरूद्व बोली के नियम/शर्तो के उल्लंघन की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा। इस सम्बन्ध में मुझे/हमें सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा तथा इसमें मुझे/हमको कोई आपत्ति/हस्तक्षेप नहीं है।

हस्ताक्षर संवेदक...

नाम/पता ....

....

टेलीफोन नं. ....

दिनांक ....

Scanned with CamScanner

General Instructions for Filling of Bid

The complete bidding document has been published on the website **www.rssc.in, http://sppp.raj.nic.in** & **http://eproc.raj.gov.in** for the purpose of downloading.

1. Bidders who wish to participate in this bidding process must register on **www.rssc.in, http://sppp.raj.nic.in** & **http://eproc.raj.gov.in**.
2. To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate (Type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safe crypt, Node etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC.
3. Bidder (authorized signatory) shall submit their offer on-line in Electronic formats both for Technical and financial proposal. However, DD for Tender Fees, EMD payable in favor of SECRETARY RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR, payable at Jaipur and Processing Fees payable in favor of Managing Director, RAJCOMP Info Services Limited, payable at JAIPUR. **Tender fee, EMD and processing fee DD should be submitted physically at the office of RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR, and Scanned copy of same should also be uploaded along with the technical bid.**
4. RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well advance in time so as to avoid Last hours issues like slow speed; choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
5. Bidders are also advised to refer "Bidders Manual Kit" available at e-Proc website for further details about the e-tendering process.
6. No contractual obligation, whatsoever shall arise from the bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the tendering authority and the successful Bidder.

SECRETARY

Scanned with CamScanner

UNDERTAKING BY THE BIDDER

This is to certify that I/we before signing this tender have read and fully understood all the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves to abide by them. I/We have signed all the pages in acceptance of the terms and conditions.

I/We also undertake that I/We will not adopt any malpractices at any stage of bidding/execution.

Signature of the Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

Scanned with CamScanner

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE {to be filled by the bidder}

To,
{Tendering Authority},
________________________________,
________________________________,

I/ We...{Name/Designation} hereby declare/ certify that .... {Name/ Designation} is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company/ firm in dealing with Tender with RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR.
He/ She is also authorized to attend meetings & submit technical & commercial information/ clarifications as may be required by you in the course of processing the Bid. For the purpose of validation, his/ her verified signatures are as under.

Thanking you,

Name of the Bidder: -
Authorized Signatory: -
Seal of the Organization: -
Date:
Place:

Verified Signature:

Scanned with CamScanner

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

कार्य का नाम :– जिला क्रीड़ा परिषद्, चौगान स्टेडियम, जयपुर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग पर दो पहिया एवं चौपहिया वाहनों हेतु।

संवेदक का नाम व पता...

....

क्र0 सं0	विवरण	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)	पृष्ठ संख्या जिस पर संलग्न है
1.	निविदा प्रपत्र मय शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर संलग्न किया।		
2.	तकनीकी बिड़ के निविदा, टेण्डर प्रक्रिया एवं अमानत राशि का बैंकर्स चैक/डी.डी. संलग्न है।		
3.	राजकीय विभाग से फर्म का रजिस्ट्रेशन (पार्किंग से संबंधित स्थाई लाईसेन्स) की छायाप्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।		
4.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।		
5.	जी.एस.टी. देयता (PAID) प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई। (31 दिसम्बर 2022 तक) GSTR-3B PERFORMA में		
6.	फर्म का औसत टर्नओवर (2019–20 से 2021–22) तीन वित्तीय वर्षो में न्यूनतम 30.00 लाख का होना आवश्यक है। सीए द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।		
7.	गत 3 वर्षो (2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) में राजकीय विभागों में किये गये पार्किंग कार्य का एकल कार्य आदेश 15.00 लाख या उससे अधिक होना आवश्यक है। जिसकी पुष्टि स्वरूप निविदा प्रपत्र के साथ सम्बन्धित संस्था से जारी कार्य आदेश एवं संबंधित कार्य सन्तोषजनक की प्रति संलग्न की गयी है।		
8.	PAN No. की छाया प्रति संलग्न है।		
9.	अन्य कोई दस्तावेज जो संवेदक संलग्न करना चाहता है।		

संवेदक के हस्ताक्षर
मय सील

Scanned with CamScanner